राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-Tutor)एनएचएम/एचआरडी/2018/274 दिनांक : 22/02/18

–: आदेश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एनआरएचएम के नर्सिंग एवं पेरामेडिकल संवर्ग के पदों को भरने हेतु निदेशक–सीफू जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2038 दिनांक 28.01.2016 के क्रम में विज्ञापित संविदा **नर्सिंग ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा** के पदों पर चयनित **06 अभ्यर्थियों** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा पर राशि **रू 25000/– प्रतिमाह** समेकित मानदेय दर पर पूर्णतया संविदा आधार पर निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है:–

S.N.	Candidate name	Father'S Name	Place of Posting
1	NANDRAJ SINGH SISODIYA	GOPAL SINGH SISODIYA	Nursing Tutor College of Nursing, Kota
2	AMIT KUMAR SHARMA	MADHUSUDAN SHARMA	
3	DASHRATH SINGH	NARAYAN SINGH SOLANKI	
4	RACHNA AJMERA	BRAJ NARAYAN SAINI	
5	SURENDRA YADAV	JUGAL KISHOR YADAV	
6	BRIJ MOHAN MEENA	SATYA NARAYAN MEENA	

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक **07/03/2018** तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक **09/03/2018** को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई–मेल आई.डी. **co.hrd.nhm@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाईन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रू 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त संविदा कार्मिको को प्रथमतः 31 मार्च 2018 (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार प्रथमतः आगामी वित्तीय वर्ष मे 31 मार्च (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जायेगा।

अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होगें। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति मे उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जॉच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक–एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड मे रखते हुऐ नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा प्रतिवर्ष इनका मूल्यांकन अगले वर्ष की 31 मई तक निष्पादित नहीं किया जाता है, तो 01 जून से अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा, इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

नर्सिंग कॉलेज ऑफ कोटा पर यदि बॉयोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है तो उक्त संविदा कार्मिकों की बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी, जो इस आशय की रिपोर्ट एचआर अनुभाग, एनएचएम को ई–मेंल आई.डी. **co.hrd.nhm@gmail.com** पर भेजेंगे।

उक्त विज्ञप्ति में विज्ञापित 09 पदो में से 01 पद श्री जितेन्द्र सिह की रिट याचिका संख्या 12526/2017 पर मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना हेतु प्राप्त विधिक राय अनुसार ओबीसी श्रेणी के तहत रिक्त रखा गया है। उक्त नियुक्तियां वर्तमान में मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों तथा भविष्य में दायर प्रकरणो के संबंध में मा0 न्यायालय के निर्णयों एवं राज्य सरकार/विभाग द्वारा लिये गये निर्णयो/दिशा–निर्देशों के भी अध्याधीन रहेंगी।

उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र/वेतन प्रमाण पत्र की जॉच के अध्याधीन रहेंगी यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(नवीन जैन)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-पीएचएन) एनएचएम/एचआरडी/2018/274 दिनांक : 22/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति0 मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक–जनस्वास्थ्य/आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक–प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, वित्त, एनएचएम, जयपुर
9. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक–मातृ स्वास्थ्य, एनएचएम, जयपुर।
11. समस्त नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार एनएचएम, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन कोटा।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोटा।
14. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोटा।
15. प्रधानाचार्य/नियन्त्रक, नर्सिंग कॉलेज, कोटा।
16. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
17. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, जिला कोटा।
18. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई–मेंल करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम